

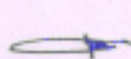
45

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्तता प्रमाण पत्र

उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कार्पोरेशन लि० (उ०प्र० सरकार का उपक्रम) द्वारा 132 के०वी० जिगना-दादर कला ट्रान्समिशन लाईन के निर्माण हेतु कुल 6.5475 हे० आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उससे प्रभावित 02 वृक्षों के पातन हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत अनुमति हेतु प्रस्तावित है। ट्रान्समिशन लाईन निर्माण से प्रभावित 6.5475 हे० वन भूमि के दो गुने अवनत वन क्षेत्र में क्षतिपूरक वनीकरण कार्य हेतु 10 वर्षीय योजना 6.5475 हे० x 2=13.095 हे० अर्थात् 14.00 हे० लालगंज रेंज के अर्न्तगत विजयपुर क०न०-3 में अवनत वनभूमि पर वनीकरण कार्य किया जाना प्रस्तावित है। जो क्षतिपूरक वनीकरण हेतु प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सर्वथा उपयुक्त है, क्षतिपूरक वनीकरण हेतु प्रस्तावित उक्त आरक्षित वनभूमि विवाद रहित एवं अतिक्रमण से मुक्त है।


क्षेत्रीय वनाधिकारी
लालगंज, सी०प्र०


उप प्रभागीय वनाधिकारी
मीरजापुर उप वन प्रभाग
मीरजापुर


प्रभागीय वनाधिकारी
मीरजापुर वन प्रभाग मीरजापुर